

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री एम0एल0नेहरा

अपील संख्या 64/2015

अपीलांत


चेतन चौधरी पुत्र रघुनाथदास जाति  
जाट निवासी नृसिंह धड़ा पोल के  
अन्दर बाईजी का तालाब, जोधपुर

बनाम

रेस्पोंडेंट

लोक सूचना अधिकारी,  
अपर कलक्टर, बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005



आदेश

दिनांक 23.11.2015


1. अपीलांत ने यह अपील लोक सूचना अधिकारी-अपर कलक्टर, बाड़मेर से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत हमारे समक्ष पेश की हैं।
2. संक्षेप में अपीलांत की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांत ने लोक सूचना अधिकारी-अपर कलक्टर, बाड़मेर को आवेदन पत्र प्रेषित कर आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 06 में वर्णित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। अपीलांत का यह कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर, बाड़मेर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिये अपीलांत को सूचना उपलब्ध कराई जाए।
3. अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट को जवाब हेतु नोटिस जारी किया।
4. रेस्पोंडेंट की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। प्राप्त जवाब अनुसार अपीलांत को वांछित उपलब्ध करवाना एवं कोई कार्रवाई शेष नहीं होना बताया है।
5. हमने अपील पत्रावली एवं रेस्पोंडेंट से प्राप्त जवाब का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपीलांत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र पेश कर आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 06 में वर्णित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर, बाड़मेर से प्राप्त जवाब अनुसार अपीलांत को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। अतः अपीलांत को उसके द्वारा आवेदित सूचना उपलब्ध करा दी गई है।



जिला कलक्टर  
बाड़मेर

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांत की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।
7. आदेश की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. आदेश आज दिनांक 23.11.2015 को सुनाया गया।



  
(एम0एल0नेहरा)  
जिला कलेक्टर, बाडले  
जिला कलेक्टर  
बाडले